न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 155 सन 2020

अनवान :–

1. राजपाल पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. विजयसिह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर ।
2. नानकराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर ।
3. खुबीराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर ।
4. रामकुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर ।
5. तीजादेवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर
6. केसरदेवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर
7. सन्तोदेवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर
8. सुमित्रा पुत्री विजयसिह जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।
9. सूर्यप्रकाश पुत्र मीरा देवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन नोहर
10. सुदेश कुमार पुत्र मीरादेवी पत्नि कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. कृष्णा पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
12. सुनीता पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर ।
13. पूनम पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
14. पूजा कूमारी पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
15. सीतादेवी पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
16. आरती पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
17. सिलोचना पुत्री खुबीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

19. विकास पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
20. कविराज पुत्र नानकराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
21. सन्तलाल पुत्र विजय सिह जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
22. सत्यवीर पुत्र खुबीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 06/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 104/99 के खसरा न0 363/8.0300हैक भूमि वादी की दादी पातो पत्नि ललाचन्द एवं रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 93/90 की 3.3520हैक प्रतिवादी संख्या 2 व खाता संख्या 159/147 की 6.2980हैक व प्रतिवादी संख्या 4 व खाता संख्या 39/33 की 6.2970हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के दादी पातों पत्नि लालचन्द का देहान्त हो चुका है पातो पत्नि लालचन्द के देहान्त होने के वाद उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ,19 ता 22 है जो पातो पत्नि देवाराम के नाम से दर्ज भूमि के बहिब के हकदार है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ,19 ता 22 का बराबर का हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा के लिये आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 17 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 19 ता 22 की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 , 19 ता 22 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,19 ता 22 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का दादी पातो है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,19 ता 22 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ,19 ता 22 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी की दादी पातो पत्नि लालचन्द के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है पातो पत्नि लालचन्द के जायज व कानुनी वारसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ,19 ता 22 है जो पातो पत्नि लालचन्द के नाम से दर्ज भूमि के बहिब के हकदार है जो जमाबन्दी में दर्ज हो चुकी है प्रतिवादी संख्या 5 ता 17 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,19 ता 22 की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,19 ता 22 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,19 ता 22 के नाम उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 104/99 के खसरा न0 363/8. 0300हैक भूमि वादी की दादी पातो पत्नि ललाचन्द एवं रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 93/90 की 3.3520हैक प्रतिवादी संख्या 2 व खाता संख्या 159/147 की 6.2980हैक व प्रतिवादी संख्या 4 व खाता संख्या 39/33 की 6.2970हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के दादी पातों पत्नि लालचन्द का देहान्त हो चुका है पातो पत्नि लालचन्द के देहान्त होने के वाद उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ,19 ता 22 है जो पातो पत्नि देवाराम के नाम से दर्ज भूमि के बहिब के हकदार है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ,19 ता 22 का बराबर का हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा के लिये आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 17 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 19 ता 22 की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 , 19 ता 22 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,19 ता 22 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ,19 ता 22 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उप जिलाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 104/99 के खसरा न0 363/8.0300हैक भूमि वादी की दादी पातो पत्नि ललाचन्द एवं रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 93/90 की 3.3520हैक प्रतिवादी संख्या 2 व खाता संख्या 159/147 की 6.2980हैक व प्रतिवादी संख्या 4 व खाता संख्या 39/33 की 6.2970हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी की दादी पातो पत्नि लालचन्द के नाम से दर्ज थी जिसका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो जमाबन्दी में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ,19 ता 22 का बराबर का हक हिस्सा है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 17 ने अपने हको का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,19 ता 22 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,19 ता 22 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,19 ता 22 ने निवेदन किया की उन्होने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवार कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ,19 ता 22 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 104/199 के खसरा न0 363 की 8.0300हैक भूमि में पातो पत्नी लालचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 20 के 3/8 हिस्से व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 19 का 3/8 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 21 का 1/4 हिस्सा एवं रोही मौजा किकराली के खसरा न0 412/319 की 1.6820हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 2 नानकराम के नाम दर्ज है व खसरा न0 319/3 की 1.8470हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 4 रामकुमार के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 2 नानकराम व प्रतिवादी संख्या 4 रामकुमार का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 खूबीराम को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा किकराली के खसरा न0 369/2 की 1.6690हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 3 खुबीराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 4 बहिब के खातेदार तथा रोही मौजा किकंराली के खसरा न0 53 की 2.7820हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 4 रामकुमार के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 22 सत्यवीर को खातेदार काश्तकार एवं रोही मौजा किकराली के खसरा न0 34/2 की 2.9460हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 3 खुबीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 रामकुमार को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नाहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. राजपाल पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1 विजयसिह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर ।
2. नानकराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर ।
3. खुबीराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर ।
4. रामकुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर ।
5. तीजादेवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर
6. केसरदेवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर
7. सन्तोदेवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर
8. सुमित्रा पुत्री विजयसिह जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।
9. सूर्यप्रकाश पुत्र मीरा देवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन नोहर
10. सुदेश कुमार पुत्र मीरादेवी पत्नि कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. कृष्णा पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
12. सुनीता पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर ।
13. पूनम पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
14. पूजा कूमारी पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
15. सीतादेवी पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
16. आरती पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
17. सिलोचना पुत्री खुबीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

19. विकास पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
20. कविराज पुत्र नानकराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
21. सन्तलाल पुत्र विजय सिह जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
22. सत्यवीर पुत्र खुबीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर।

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 155 सन 2020 निर्णय दिनांक– 06/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 104 / 199 के खसरा न0 363 की 8.0300हैक भूमि में पातो पत्नी लालचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 20 के 3/8 हिस्से व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 19 का 3/8 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 21 का 1/4 हिस्सा एवं रोही मौजा किकराली के खसरा न0 412 / 319 की 1.6820हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 2 नानकराम के नाम दर्ज है व खसरा न0 319/3 की 1.8470हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 4 रामकुमार के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 2 नानकराम व प्रतिवादी संख्या 4 रामकुमार का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 खूबीराम को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा किकराली के खसरा न0 369/2 की 1.6690हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 3 खुबीराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 4 बहिब के खातेदार तथा रोही मौजा किकंराली के खसरा न0 53 की 2.7820हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 4 रामकुमार के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 22 सत्यवीर को खातेदार काश्तकार एवं रोही मौजा किकराली के खसरा न0 34/2 की 2.9460हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 3 खुबीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 रामकुमार को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/8/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)